विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
(यांत्रिकी विभाग)
सीमित निविदा आमंत्रण

क्रमांक/यांत्रिकी/2022–23/407 दिनांकः– 2/01/2023.

प्रति,

....
....
....

कार्य का नामः–विक्रम विश्वविद्यालय के संजीवनी वृन्द परिक्षेत्र के आवले के पौधो का रख–रखाव कर फल तोड़ कर ले जाने बाबत्।

विक्रम विश्वविद्यालय के संजीवनी वृन्द में आवले के पौधो का रख–रखाव कर फल तोड़ कर ले जाने हेतु तीन वर्षो के लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें एक मुश्त निविदा राशी (प्रति वर्ष के लिए) किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा आवेदन दिनांक 13/01/2023 समय 5.00 बजे तक व्यक्तिगत्/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा कुलसचिव, (यांत्रिकी विभाग) विक्रम विश्वविद्यालय, कोठी रोड़, उज्जैन के पते पर जमा करने का कष्ट करें। उक्त प्रस्ताव के साथ निम्नानंकित प्र–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे–

1. धरोहर राशी रु. 5000/–(पॉच हजार रु.) का मूल एफडीआर/डी.डी. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम
2. व्यक्ति/संस्थान– आधार कार्ड/पंजीयन प्र–पत्र

क्र.	परिक्षेत्र का विवरण	तीन वर्षो के लिए निविदा हेतु निविदाकार की निविदा राशी (प्रति वर्ष देय)	
		अंको में	शब्दों में
1	संजीवनी वृन्द परिक्षेत्र स्थित आवॅले के फलो हेतु		

साथ ही लिफाफे के ऊपर **आवालों फल निलामी–2023** हेतु निविदा का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य हैं।

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

निविदा हेतु सामान्य शर्ते :—

वर्ष 2023 के लिये विक्रम विश्वविद्यालय परिसर के संजीवनी वृन्द स्थित आवले के पौधो का रख—रखाव कर फल तोड़ कर ले जाने हेतु किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा एक मुश्त राशी वार्षिक देय आधार पर आमंत्रित की जाने की शर्ते निम्नानुसार है—

1. फलों को क्रय करने हेतु निविदाकारो को 100/— रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पत्र देना होगा।
2. निविदा स्वीकृति पश्चात् समस्त निविदा राशी प्रति वर्ष निविदा स्वीकृति पत्र की दिनांक से सात दिवस् में निविदाकार द्वारा जमा करना आवश्यक होगा।
3. आवले के पौधो के फल हेतु क्रेता को धरोहर राशि के रूप में रु. 5000/— जमा करवाने होगें, ताकि किसी भी प्रकार की क्षति होने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
4. **समय सीमा में निविदा राशि जमा न करने की स्थिती में धरोहर राशी राजसात कर द्वितीय अधिकतम राशी प्रदान करने वाले निविदाकार द्वारा अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।**
5. आवेदनकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा रोपित आवले के पौधों के फलो को पानी देना, खाद देना, कीटनाशक का उपयोग कर देख रेख कर फल तोड़ कर ले जाना होगा।
6. इस दौरान किसी प्रकार से रोपित पौधों को हुई क्षति के लिए आवेदनकर्ता उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय क्षतिग्रस्त प्रत्येक पौधो पर रुपये 500/—की दर से राशि वसूल करेगा।
7. आवले के पौधो के फलो को स्वयं परिसर से बाहर ले जाना होगा।
8. आवले के पौधो के फलो की सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्रेता का स्वयं का रहेगा।
9. पौधों की निदाई, गुड़ाई, सिंचाई एवं रख—रखाव का कार्य व्यक्ति/संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जाता रहेंगा।
10. उक्त अनुबंध प्रथमतः तीन वर्षो के लिए किया जायेगा।
11. उभय पक्षों की सहमति से निविदा को दो—दो वर्षो के लिए दो बार बढ़ाया जा सकेगा।
12. किसी वाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

विश्वविद्यालय यंत्री
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

हस्ताक्षर
अधिकृत निविदाकर्ता